न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–111/2012 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. उदल पुत्र पून्या जाति मीणा,
2. गिर्राज पुत्र पून्या जाति मीणा,
3. मायादेवी बेवा भगवान पुत्रवधू पून्या जाति मीणा,
4. जितेन्द्र,
5. भूपेन्द्र,
6. राजकुमार पुत्रान श्री भगवान पौत्रान पून्या जाति मीणा,
7. मंगल पुत्र पून्या जाति मीणा निवासीयान ग्राम गोविन्दगढ़ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0 ।

..... अपीलांटान/वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर अलवर राज0 ।
2. तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0 ।

..... असल रेस्पो0/प्रति0

3. शिवचरण पुत्र तेजी पौत्र बलवन्त जाति मीणा,
4. शिवदयाल पुत्र तेजी पौत्र बलवन्त जाति मीणा,
5. पृथ्वी पुत्र लल्या जाति मीणा– मृतक
   - 5/1. बाबूलाल,
   - 5/2. कैलाश,
   - 5/3. खिलारी,
   - 5/4. रामकंवार,
   - 5/5. सोहनलाल पुत्रान पृथ्वी जाति मीणा,
6. रूपनारायण,
7. फूल पुत्रान लल्या जाति मीणा,
8. रूग्गन पुत्र पदमा जाति मीणा – मृतक
   - 8/1. प्रभू,
   - 8/2. मदन,
   - 8/3. हीरा पुत्रान रूग्गन जाति मीणा,
9. बच्चू पुत्र पदमा जाति मीणा,
10. पांचू पुत्र हरबल जाति मीणा – मृतक

10/1. दिनेश,
10/2. महेश,
10/3. नररू,
10/4. लाल पुत्रान पांचू जाति मीणा,
11. शिवलाल,
12. छोटेलाल,
13. बहादुर पुत्रान मोती पौत्र हरबलं जाति मीणा,
14. इन्दर पुत्र स्योना जाति मीणा – मृतक
14/1. जयसिंह पुत्र इन्दर जाति मीणा,
15. देवीसिंह पुत्र छाज्या जाति राजपूत – मृतक
15/1. कल्लूसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत,
16. रघुवीरसिंह पुत्र गिरवरसिंह पौत्र छाज्या जाति राजपूत,
17. होण्डा पुत्र गिरवरसिंह पौत्र छाज्या जाति राजपूत,
18. शंकर पुत्र कन्हैया जाति कलाल,
19. राजेन्द्र पुत्र भगवान पौत्र कन्हैया जाति कलाल,
20. सुरेश पुत्र भगवांन पौत्र कन्हैया जाति कलांल,
21. पंकज पुत्र भगवान पौत्र कन्हैया जाति कलाल निवासीयांन सभी ग्राम गोविन्दगढ़ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0 ।

.....तर0 रेस्पो0/प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
1. श्री मुकेश शर्मा अभिभाषक अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 ।
2. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक असल रेस्पो0

::: निर्णय :::

दिनांक :–08.06.2018

यह अपील विद्धान उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.05.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांटान ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा इस्तकरारहक व हुक्म ईम्तनाई दवामी इस आशय का प्रस्तुत किया कि साबिक आराजी ख0 नं0 417 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, 418 रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा हाल ख0 नं0 371 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, 374 रकबा 9 बीघा 19 बिस्वां वाके ग्राम गोविन्दगढ़ तहसील लक्ष्मणगढ़ में स्थित है जो आराजी विवादित है । दावा के जिमन नं. 1 में अंकित विवादित आराजी हम वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादी सं0 3 ल0 21 के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिस पर वादीगण एवं तर0 प्रतिवादीगण के वालिद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से एवं जागीरदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम लागू होने के पूर्व से ही काश्त करते चले आ रहे हैं । पहले वादीगण एवं तर0 प्रतिवादीगण के पिता काबिज थे । विवादित आराजी में हम वादीगण का 1/8 हिस्सा है तथा शेष 7/8 हिस्सा तर0 प्रतिवादी सं0 3 ल0

21 का है और मुताबिक हिस्सों के हम सभी काबिज चले आ रहे हैं । वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के वालिदों का नाम पूर्व के राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज चला आ रहा है तथा काश्त दर्ज हो रही है लेकिन बन्दोबस्त के अधिकारियों व कर्मचारियों ने दौराने बन्दोबस्त खिलाफ कानून व खिलाफ मौका विवादित आराजी किस्म सिवायचक दर्ज कर दी जबकि बन्दोबस्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पूर्व के ही इन्द्राज की रिपीट करना चाहिए था जबकि आराजी सदैव से काबिल काश्त भूमि रही है और आज भी मौके पर काश्त हो रही है तथा विवादित आराजी ख0 नं0 417 में हम वादीगण की एक बोरिंग लगी हुई है जिससे सिंचाई करते हैं व ज्वार की फसल खड़ी है लेकिन गलत इन्द्राज सिवायचक के हो जाने पर अब प्रतिवादीगण व उनके अधीनस्थ कर्मचारीगण हम वादीगण को विवादित आराजी से जबरन बेदखल करने पर उतारू हो रहे हैं जिस बाबत पटवारी हल्का ने हम वादीगण के विरूद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट नायब तहसीलदार गोविन्दगढ़ को पेश की है । वादीगण को नायब तहसीलदार गोविन्दगढ़ ने नोटिस धारा 91 एल.आर.एक्ट के जारी कर दिये तथा बेदखली की कार्यवाही अमल में लायी जा रही है । प्रतिवादीगण एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारीगण ने हम वादीगण की विवादित आराजी से बेदखल कर दिया तो वादीगण को भारी अपूरणीय क्षति होगी । गलत इन्द्राज के रहने से हम वादीगण के हक हकूक जायल हो रहे हैं । इसलिए दावा वादीगण स्वीकार फरमाते हुए वादीगण को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित करने का निवेदन किया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत किया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों के अभिभाषकगण की बहस सुनकर तनकीयात कायम करते हुए दि0 30.05.2012 को वादीगण का वाद खारिज कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 30.05.2012 से व्यथित होकर अपीलांट ने अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया । अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि साबिक आराजी ख0 नं0 417 मिन रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा एवं 418 मिन रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम गोविन्दगढ़ तहसील लक्ष्मणगढ़ में अपीलांट / वादीगण का 1/8 हिस्से पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से ही कब्जे काश्त में रहा है । सम्वत् 2003 से 2010 की जमाबन्दी की नकल का हवाला देते हुए अभिभाषक अपीलांट ने कहा है कि उक्त आराजीयात पर अपीलांट की काश्त दर्ज करते हुए गैर मौरूसी के रूप में दर्ज किया गया है तथा यह आराजी तत्काल समय में बारानी बंजड़ कदीम के रूप में दर्ज थी । अपीलांट के द्वारा सम्वत् 2015 की खसरा गिरदावरी पेश करके कहा कि खसरा नम्बर 417 पर पून्या वल्द रेवड़ा का 1/8 हिस्सा काश्त के रूप में दर्ज है जिसमें फसल का अंकन किया गया है । जमाबन्दी सम्वत् 2014 का हवाला देते हुए कहा कि साबिक ख0 नं0 417 और 418 में अपीलांट के पिता पून्या पुत्र रेवड़ा एक हिस्से के तथा अन्य तरतीबी रेस्पो0 हिस्सेनुसार गैर खातेदार के रूप में दर्ज रेकार्ड थे परन्तु बन्दोबस्त विभाग ने सम्वत्

2028–29 में उक्त साबिक आराजी को गलत रूप से गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज कर दिया जबकि बन्दोबस्त विभाग को कानूनन इस प्रकार के खातेदारी की आराजी को सिवायचक गैर मुमकिन दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था । बन्दोबस्त विभाग को पुराने इन्द्राज को ही रिपीट करना चाहिए था । इस संबंध में अपीलांट अभिभाषक ने तहत न्यायालय में पेश साबिक और हाल रेकार्ड का अवलोकन कराया । अपीलांट अभिभाषक द्धारा यह भी कहा गया कि सम्वत् 2022 में अपीलांट के पिता का खातेदारी रेकार्ड में अंकन आया है लेकिन बन्दोबस्त विभाग ने उक्त खातेदारी के इन्द्राजों को कलमजन कर कानून के विरूद्ध इन्द्राज किया है । इस संबंध में कानूनी नजीरें आर.आर.डी. 1973, आर.आर.डी. 1969 पेज 231 का हवाला देते हुए कहा कि बन्दोबस्त विभाग के द्धारा खातेदार के इन्द्राजात को कलमजन करना कानून के विपरित है । ए.आई.आर. 1994 पेज 1128 का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को लम्बे समय तक प्राप्त अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है । साबिक आराजी ख0 नं0 417 के 5 बिस्वा रकबे पर अपीलांट की लगभग 20 वर्ष से बोरिंग बनी हुई है, पाटोल डली हुई है और उक्त बोरिंग से वह अपने खातेदारी की आराजी में सिंचाई करता है । इस संबंध में अपीलांट अभिभाषक ने नंकल नायब तहसीलदार गोविन्दगढ़ के पत्र दिनांक 24.11.2010 का हवाला देते हुए कहा कि उक्त साबिक ख0 नं0 417 के हाल ख0 नं0 371 जो वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता अंकित है के 5 बिस्वा रकबे पर उदल राम पुत्र पून्या राम साकिन गोविन्दगढ़ ने 30 साल से बोरिंग बनायी हुई है और उसका नियंमन करने के लिए सिफारिंश की गई है । इस प्रकार से अपीलांट अभिभाषक ने उक्त 5 बिस्वा की आराजी पर अपना कब्जा काश्त होना जाहिर किया है ।

अपीलांट अभिभाषक का कथन है कि तहत न्यायालय में उनके द्धारा उक्त साबिक रेकार्ड पेश किया गया तथा कानूनी नजीरें पेश की गई । कब्जे काश्त के संबंध में साक्ष्य करवायी गयी, उसके बावजूद भी उन्हें खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये गये । वर्तमान में अपीलांट के कब्जे काश्त और बन्दोबस्त से पूर्व उक्त आराजी पर अपीलांट के पिता का कब्जा काश्त होने और रेकार्ड में खातेदारी अंकित होने के बावजूद बन्दोबस्त विभाग द्धारा कानून के विपरित जाकर रेकार्ड में सिवायचक रास्ता अंकित किये जाने के इन्द्राजों को निरस्त कर अपीलांट को 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें और प्रतिवादीगण / रेस्पो0 सरकार को पाबन्द किया जावें कि वह अपीलांट को उक्त बोरिंग और झौपड़ी तथा उसके कब्जे की 5 बिस्वा की भूमि से बेदखल नहीं करें । अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार करने की इस्तदुआ की ।

रेस्पो0 अभिभाषक पैरोकार सरकार ने जवाब बहस में कथन किया कि साबिक ख0 नं0 417 व 418 में अपीलांट के पिता पून्या का गैर मौरूसी के रूप में अंकन है तथा शिकमी काश्तकार या बंटाई के रूप में काश्त करने वाले काश्तकार को राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । अतः अपीलांट उक्त आराजी पर वक्त टिनेन्सी एक्ट लागू होने के समय खुद काश्त में होने में होने के होते तो खातेदारी अधिकार मिलते । रेस्पो0 अभिभाषक ने तहत न्यायालय के आदेश को सही बताया और अपीलांट की अपील को खारिज करने की प्रार्थना की ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्धारा पारित आदेश

दिनांक 30.5.2012 का अवलोकन किया तथा उभयपक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पेश कानूनी नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया ।

विवादित आराजी साबिक ख0 नं0 417 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा वर्तमान में सिवायचक गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज है तथा उक्त रकबे में से 1 बीघा 5 बिस्वा रकबे पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कब्जा प्राप्त किया गया, शेष रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज है । अपीलांट द्वारा पेश साबिक रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2003 से 10 के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस आराजी पर पून्या वल्द रेवड़ा एक हिस्से पर गैर मौरूसी के रूप में दर्ज रेकार्ड है । जमाबन्दी सम्वत् 2014 के अनुसार साबिक ख0 नं0 417 व 418 पर बकाश्त के रूप में पून्या वल्द रेवड़ा एक हिस्से पर गैर खातेदार के रूप में दर्ज रेकार्ड है । खसरा गिरदावरी सम्वत् 2015 से 18 के मुताबिक पून्या की अन्य व्यक्तियों के साथ काश्त दर्ज है । इससे यह तो स्पष्ट है कि उक्त साबिक आराजी ख0 नं0 417 व 418 पर अपीलांट के पिता का हिस्सेनुसार काश्त के रूप में कब्जा काश्त रहा है । रेकार्ड के अनुसार सम्वत् 2028–29 के अनुसार साबिक आराजी ख0 नं0 417 के हाल ख0 नं0 371 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा कायम किये गये हैं एवं ख0 नं0 418 के हाल ख0 नं0 374 कायम किये गये हैं । सम्वत् 2029 की जमाबन्दी के अनुसार जो बन्दोबस्त विभाग की जमाबन्दी में ख0 नं0 371 रेकार्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज है ।

हाल जमाबन्दी सम्वत् 2056 के अनुसार हाल ख0 नं 371 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा में से 1 बीघा 5 बिस्वा रकबा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा गैर मुमकिन सड़क हेतु अवाप्त की गई है ।

तहत न्यायालय ने अपने निर्णय में विवेचन किया है कि बन्दोबस्त से पूर्व अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 की आराजी कभी भी खातेदारी में दर्ज नहीं रही है और न ही अपीलांट द्वारा ऐसा कोई रेकार्ड पेश किया गया जिससे यह स्पष्ट हो सकें कि बन्दोबस्त विभाग से पूर्व अपीलांट साबिक आराजी के खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड थे । वक्त टिनेन्सी एक्ट लागू होते समय अपीलांट के पिता न तो उक्त आराजी में खुदकाश्त के रूप में दर्ज थे और न ही पूर्व से ही इनकी आराजी खुद काश्त के रूप में दर्ज है । शिकमी और बकाश्त के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं । इसलिए तहत न्यायालय के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, वह विधिसम्मत है परन्तु साबिक रेकार्ड से और साक्ष्य से तथा नायब तहसीलदार गोविन्दगढ़ की नियमन संबंधी सिफारिश से यह तो स्पष्ट है कि हाल आराजी ख0 नं0 371 के 5 बिस्वा रकबे पर जहां पर मौके पर रास्ता नहीं है तथा अपीलांट की बोरिंग लगी हुई है जिससे वह अपनी खातेदारी की आराजी की आबपासी करता है । साबिक आराजी ख0 नं0 317 पर अपीलांट के पिता पून्या की काश्त रेकार्ड में भी दर्ज है । इसलिए अपीलांट को बोरिंग के उपयोग, उपभोग से वंचित किया जाता है तो अपीलांट के प्रति न्याय नहीं होगा और प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाना उचित है कि वे अपीलांट को बेदखल नहीं करें ।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.05.2012 इस हद तक निरस्त की जाती है कि वे अपीलांट को बोरिंग के उपयोग एवं उपभोग में दखल नहीं दे और उन्हें

दिनांक 30.5.2012 का अवलोकन किया तथा उभयपक्षों के विद्धान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पेश कानूनी नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया ।

विवादित आराजी साबिक ख0 नं0 417 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा वर्तमान में सिवायचक गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज है तथा उक्त रकबे में से 1 बीघा 5 बिस्वा रकबे पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्धारा कब्जा प्राप्त किया गया, शेष रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज है । अपीलांट द्धारा पेश साबिक रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2003 से 10 के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस आराजी पर पून्या वल्द रेवड़ा एक हिस्से पर गैर मौरूसी के रूप में दर्ज रेकार्ड है । जमाबन्दी सम्वत् 2014 के अनुसार साबिक ख0 नं0 417 व 418 पर बकाश्त के रूप में पून्या वल्द रेवड़ा एक हिस्से पर गैर खातेदार के रूप में दर्ज रेकार्ड है । खसरा गिरदावरी सम्वत् 2015 से 18 के मुताबिक पून्या की अन्य व्यक्तियों के साथ काश्त दर्ज है । इससे यह तो स्पष्ट है कि उक्त साबिक आराजी ख0 नं0 417 व 418 पर अपीलांट के पिता का हिस्सेनुसार काश्त के रूप में कब्जा काश्त रहा है । रेकार्ड के अनुसार सम्वत् 2028–29 के अनुसार साबिक आराजी ख0 नं0 417 के हाल ख0 नं0 371 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा कायम किये गये हैं एवं ख0 नं0 418 के हाल ख0 नं0 374 कायम किये गये हैं । सम्वत् 2029 की जमाबन्दी के अनुसार जो बन्दोबस्त विभाग की जमाबन्दी में ख0 नं0 371 रेकार्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज है ।

हाल जमाबन्दी सम्वत् 2056 के अनुसार हाल ख0 नं 371 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा में से 1 बीघा 5 बिस्वा रकबा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्धारा गैर मुमकिन सड़क हेतु अवाप्त की गई है ।

तहत न्यायालय ने अपने निर्णय में विवेचन किया है कि बन्दोबस्त से पूर्व अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 की आराजी कभी भी खातेदारी में दर्ज नहीं रही है और न ही अपीलांट द्धारा ऐसा कोई रेकार्ड पेश किया गया जिससे यह स्पष्ट हो सकें कि बन्दोबस्त विभाग से पूर्व अपीलांट साबिक आराजी के खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड थे । वक्त टिनेन्सी एक्ट लागू होते समय अपीलांट के पिता न तो उक्त आराजी में खुदकाश्त के रूप में दर्ज थे और न ही पूर्व से ही इनकी आराजी खुद काश्त के रूप में दर्ज है । शिकमी और बकाश्त के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं । इसलिए तहत न्यायालय के द्धारा जो आदेश पारित किया गया है, वह विधिसम्मत है परन्तु साबिक रेकार्ड से और साक्ष्य से तथा नायब तहसीलदार गोविन्दगढ़ की नियमन संबंधी सिफारिश से यह तो स्पष्ट है कि हाल आराजी ख0 नं0 371 के 5 बिस्वा रकबे पर जंहां पर मौके पर रास्ता नहीं है तथा अपीलांट की बोरिंग लगी हुई है जिससे वह अपनी खातेदारी की आराजी की आबपासी करता है । साबिक आराजी ख0 नं0 317 पर अपीलांट के पिता पून्या की काश्त रेकार्ड में भी दर्ज है । इसलिए अपीलांट को बोरिंग के उपयोग, उपभोग से वंचित किया जाता है तो अपीलांट के प्रति न्याय नहीं होगा और प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाना उचित है कि वे अपीलांट को बेदखल नहीं करें ।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है । विद्धान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.05.2012 इस हद तक निरस्त की जाती है कि वे अपीलांट को बोरिंग के उपयोग एवं उपभोग में दखल नहीं दे और उन्हें बेदखल नहीं करें । अपीलांट द्धारा यदि नियमन के लिए आवेदन किया जाता है तो आवेदन

प्राप्त करके नियमानुसार कार्यवाही करके आदेश पारित करें । तब तक अपीलांट को बोरिंग व उसके जुड़ी सुविधाओं के उपयोग उपभोग करने से वंचित नहीं करें, शेष निर्णय विवादित आराजी की खातेदारी के संबंध में यथावत रहेगा । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 08.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

8/6/18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर